



F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1051 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1051

विषय/Sub: डेटा बस कॅपलर के कनेक्टर्स डीबीसी-1002 एंड डीबीसी-1004 /
Connectors of Data Bus Coupler DBC -1002 & DBC-1004

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स कंप्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद-500 034 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित डेटा बस कॅपलर के कनेक्टर्स डीबीसी-1002 एंड डीबीसी-1004 को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-1051, दिनांक 10 मार्च 2004, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1051 जारी किया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-1051/1आर द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2009 को नवीकरण किया था जो कि 31 दिसंबर 2013 तक वैध था।

This is to state that the Connectors of Data Bus Coupler, Part No. Type DBC-1002 & DBC-1004 designed, developed & manufactured by M/s. Compu Power Pvt. Ltd, Hyderabad- 500 034, has been issued with Type Approval No. 1051 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-1051, dated: 10th Mar 2004 and subsequently renewed on 21st Jan 2009 Vide Ref No. CEMILAC/5070/TA-1051/1R, and was valid up to 31st Dec 2013.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2014 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(हैदराबाद), सेमिलेक, बालानगर, हैदराबाद-500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Jan 2014 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), CEMILAC, Balanagar, Hyderabad- 500 042, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./ No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1051-2R

दिनांक/Date : 21 Nov 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero)
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)